29

रक्षा संबंधी स्थायी समिति

(2021-22)

(सत्रहवीं लोक सभा)

रक्षा मंत्रालय

अनुदानों की मांगें (2022-23)

आयुध निदेशालय, समन्वय ऐवम सेवाएं - नवीन डीपीएसयू, रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन, गुणता आश्वासन महानिदेशालय और राष्ट्रीय कैडेट कोर

(मांग सं. 20 और 21)

उनतीसवां प्रतिवेदन

[केवल टिप्पणियाँ / सिफारिशें]

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली
मार्च, 2022/ फाल्गुन, 1943 (शक)

उनतीसवां प्रतिवेदन

रक्षा संबंधी स्थायी समिति (2021-22)

(सत्रहवीं लोक सभा)

रक्षा मंत्रालय

अनुदानों की मांगें (2022-23)

आयुध निदेशालय, समन्वय ऐवम सेवाएं - नवीन डीपीएसयू, रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन, गुणता आश्वासन महानिदेशालय और राष्ट्रीय कैडेट कोर
(मांग सं. 20 और 21)

16.3.2022 को लोक सभा में प्रस्तुत किया गया
16.3.2022 को राज्य सभा के पटल पर रखा गया

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली
मार्च, 2022/ फाल्गुन, 1943 (शक)

विषय सूची

पृष्ठ

समिति (2021-22) की संरचना 4

प्राक्कथन 6

प्रतिवेदन

भाग - दो

टिप्पणियाँ / सिफारिशें 7

रक्षा संबंधी स्थायी समिति की संरचना (2021-22)

श्री जुएल ओराम - सभापति

लोक सभा

2. कुंवर दानिश अली
3. श्री नितेश गंगा देब
4. श्री राहुल गांधी
5. श्री डी. वी. सदानन्द गौड़ा
6. श्री अण्णासाहेब शंकर जोल्ले
7. चौधरी महबूब अली कैसर
8. श्री रतन लाल कटारिया
9. डॉ. रामशंकर कठेरिया
10. श्री श्रीधर कोटागिरी
11. श्रीमती राजश्री मल्लिक
12. श्री उत्तम कुमार रेड्डी नलमाडा
13. डॉ. टी.आर. पारिवेन्धर
14. श्री अनुमुला रेवंत रेड्डी
15. श्री जुगल किशोर शर्मा
16. डॉ. श्रीकांत एकनाथ शिंदे
17. श्री प्रताप सिम्हा
18. श्री बृजेन्द्र सिंह
19. श्री महाबली सिंह
20. श्री दुर्गा दास उईके
21. रिक्त

राज्य सभा

22. डॉ. अशोक बाजपेयी
23. श्री एन. आर. इलांगो
24. श्री प्रेम चंद गुप्ता

25. श्री वेंकटारमन राव मोपीदेवी
26. श्री शरद पवार
27. श्री वी. लक्ष्मीकांत राव
28. श्री कामाख्या प्रसाद तासा
29. डॉ. सुधांशु त्रिवेदी
30. ले. जन. (डॉ.) डी. पी. वत्स (सेवानिवृत्त)
31. श्री के. सी. वेणुगोपाल

<u>सचिवालय</u>

1.	श्री एम के मधुसूदन	-	संयुक्त सचिव
2.	डॉ. संजीव शर्मा	-	निदेशक
3.	श्री राहुल सिंह	-	उप सचिव
4.	श्री राजेश कुमार	-	समिति अधिकारी

प्राक्कथन

मैं, रक्षा संबंधी स्थायी समिति (2021-22) का सभापति, समिति द्वारा प्राधिकृत किये जाने पर आयुध निदेशालय, समन्वय ऐवम सेवाएं - नवीन डीपीएसयू, रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन, गुणता आश्वासन महानिदेशालय और राष्ट्रीय कैडेट कोर (मांग सं. 20 और 21) के संबंध में वर्ष 2022-23 हेतु रक्षा मंत्रालय की अनुदानों की मांगों संबंधी यह उनतीसवां प्रतिवेदन (17वीं लोक सभा) प्रस्तुत करता हूँ।

2. रक्षा मंत्रालय की अनुदानों की मांगें 09.02.2022 लोक सभा के पटल पर रखी गई थीं। समिति ने 16, 17, और 18 फरवरी 2022 को रक्षा मंत्रालय के प्रतिनिधियों का साक्ष्य लिया। समिति द्वारा 14 मार्च, 2022 को हुई बैठक में प्रारूप प्रतिवेदनों पर विचार किया गया और इसे स्वीकार किया गया।

3. समिति रक्षा मंत्रालय के अधिकारियों और सेवाओं / संगठनों के प्रतिनिधियों का समिति के समक्ष उपस्थित होने और अनुदानों की मांगों की जांच के संबंध में समिति द्वारा वांछित सामग्री और जानकारी उपलब्ध कराने हेतु धन्यवाद करती है ।

4. संदर्भ और सुविधा के लिए समिति की टिप्पणियों सिफारिशों/को प्रतिवेदन के भाग दो -में मोटे अक्षरों में मुद्रित किया गया है।

नई दिल्ली;
10 मार्च, 2022
19 फाल्गुन,1943(शक)

जुएल ओराम
सभापति
रक्षा संबंधी स्थायी समिति

भाग दो

टिप्पणियां/सिफारिशें

पूर्ववर्ती आयुध निर्माणियों

1. समिति को पता चला कि आयुध निर्माणी बोर्ड (ओएफबी), जिसका मुख्यालय कोलकाता में है, 30.9.2021 तक रक्षा उत्पादन विभाग का एक अधीनस्थ कार्यालय था और यह 41 आयुध कारखानों को नियंत्रित और निर्देशित करता था। मंत्रिमंडल ने 16.06.2021 को आयोजित अपनी बैठक में ओएफबी की उत्पादन इकाइयों को 41 इकाइयों के साथ 7 डीपीएसयू में बदलने को मंजूरी दी थी, जिनमें म्यूनिशन्स इंडिया लिमिटेड (एमआईएल), बख्तरबंद वाहन निगम लिमिटेड (एवीएनएल), एडवांस्ड वेपन्स एंड इक्विपमेंट इंडिया लिमिटेड (एडब्ल्यूईआईएल), ट्रूप कंफर्ट्स लिमिटेड (टीसीएल), यंत्र इंडिया लिमिटेड (वाईआईएल), इंडिया ऑप्टल लिमिटेड (आईओएल) और ग्लाइडर्स इंडिया लिमिटेड (जीआईएल) शामिल हैं। नई कारपोरेट संस्थाओं के मुख्यालयों का चयन ओएफ के स्थान और जमावड़े, राजस्व और उत्पादों की महत्वपूर्णता के आधार पर किया गया है। समिति को प्रदान की गई जानकारी से यह नोट करती है कि इन नए डीपीएसयू को चलाने के लिए, पूर्ववर्ती ओएफबी पर 30 सितंबर 2021 तक लगाए गए इंडेंट को संबंधित उत्पादों की आपूर्ति के लिए डीम्ड अनुबंधों में बदल दिया गया है। ये डीम्ड अनुबंध उत्पादों की

डिलीवरी के लिए वार्षिक लक्ष्य प्रदान करते हैं। प्रत्येक वर्ष, उस वर्ष के लक्ष्य से संबंधित राशि का 60% डीपीएसयू को डीम्ड अनुबंध में निर्धारित नियमों और शर्तों के अनुसार अग्रिम के रूप में सेवाओं द्वारा भुगतान किया जाएगा। सरकार ने पहले ही आरई 2021-22 में 4,347 करोड़ रुपये (आयुध कारखानों के लिए 30 सितंबर 2021 तक 204 करोड़ रुपये के व्यय सहित) और आधुनिकीकरण और अनुसंधान एवं विकास के लिए नए डीपीएसयू के लिए बीई 2022-23 में 3,810 करोड़ रुपये ओम्निबस माइनर हेड 190 के तहत सार्वजनिक क्षेत्र और अन्य उपक्रमों में निवेश - मेजर हेड 4076 (04) के तहत रक्षा सेवाएं अनुमानों संबंधी पूंजीगत परिव्यय के अंतर्गत पूंजीगत व्यय आवंटित किया है । समिति को पता चला है कि आरई 2021-22 और बीई 2022-23 में नए डीपीएसयू के लिए आपातकालीन प्राधिकार चरणों में अलग-अलग 2500 करोड़ रुपये बैठता है।

2. समिति को सूचित किया गया था कि निगमीकरण से पहले रक्षा सेवाओं के लिए ओएफबी उत्पादों की कीमत "लागत के आधार पर" निर्धारित की गई थी और प्रत्येक वर्ष, पिछले वर्ष की उत्पादन की वास्तविक लागत, आगामी वर्ष और आने वाले वर्ष के लिए अनुमानित लागत के आधार पर अगले वर्ष के लिए मूल्य निर्धारित किए गए थे, जिसमें प्रत्येक वर्ष 8% तक मूल्य वृद्धि का प्रावधान था। इस प्रकार, इसमें लाभ उपार्जन का कोई तत्व शामिल नहीं था। निगमीकरण के बाद, पूर्ववर्ती ओएफबी के लिए सेवाओं द्वारा रखे गए मांग पत्रों को डीम्ड अनुबंधों

में परिवर्तित कर दिया गया था। चूंकि, डीम्ड अनुबंधों में कीमतें वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए पूर्ववर्ती ओएफबी पर लागू होने वाले मूल्यों के समान हैं। इस प्रकार, डीम्ड अनुबंधों में लाभ का कोई अतिरिक्त तत्व नहीं है, लेकिन वर्ष 2022-23 के बाद से प्रति वर्ष 6% मूल्य वृद्धि का प्रावधान होगा। ओएफबी के निगमीकरण, पेशेवर प्रबंधन, कार्यात्मक और वित्तीय स्वायत्तता उचित/व्यवस्थित जवाबदेही और पुनर्गठन के साथ, समिति आशा व्यक्त करती है कि पूर्ववर्ती ओएफबी उत्पादक, लाभदायक और कुशल डीपीएसयू में बदल जाएगा।

<u>अनुमानित लाभ, बचत और लागत में कमी</u>

3. समिति को इस बात की खुशी है कि यद्यपि नवसृजित डीपीएसयू हाल ही में कारपोरेट संस्थाएं बन गए हैं, फिर भी उन्होंने लाभप्रदता की प्रवृत्ति दिखानी शुरू कर दी है जिसे भविष्य में भी बनाए रखने की आवश्यकता है। समिति बहुत स्पष्ट रूप से और सटीक रूप से जानना चाहती है कि क्या ये लाभ बुक एडजेस्टमेंट है या ऑपरेटिंग लाभ हैं। विचार-विमर्श के दौरान, समिति को अवगत कराया गया कि 2018-19 के दौरान, एमआईएल को 973 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ था जो 2019-20 में बढ़कर 1295 करोड़ रुपये और 2020-21 में 1796 करोड़ रुपये हो गया, एमआईएल ने 1 अक्टूबर 21 से 31 मार्च 2022 के लिए 42.82 करोड़ रुपये का प्रस्तावित लाभ दिखाया। इसी तरह, 2018-19 के दौरान, एवीएनएल को 152 करोड़

रुपये का नुकसान हुआ था जो 2019-20 में बढ़कर 1295 करोड़ रुपये और 2020-21 में 554 करोड़ रुपये हो गया, एवीएनएल ने भी इसी अवधि के लिए 33.06 करोड़ रुपये के लाभ का प्रस्ताव किया। एक अन्य डीपीएसयू, आईओएल को 2020-21 में 69 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ था, हालांकि इसने 1 अक्टूबर 21 से 31 मार्च 2022 के बीच की अवधि के लिए 54.64 करोड़ रुपये का प्रस्तावित लाभ दिखाया।2018-19 के दौरान, वाईआईएल को 588 करोड़ रुपये का घाटा हुआ था जो 2019-20 में बढ़कर 695 करोड़ रुपये और 2020-21 में 806 करोड़ रुपये हो गया। वाईआईएल ने 1 अक्टूबर 21 से 31 मार्च 2022 के बीच की अवधि के लिए 76.69 करोड़ रुपये के कम नुकसान के साथ बेहतर प्रदर्शन दिखाया। 2018-19 के दौरान, एडब्ल्यूईआईएल को 494 करोड़ रुपये का घाटा हुआ था, जो 2019-20 में बढ़कर 846 करोड़ रुपये और 2019-20 में 846 करोड़ रुपये हो गया।2020-21 में 1051 करोड़ रुपये के निवेश के साथ, एडब्ल्यूईआईएल ने भी उपरोक्त अवधि के लिए 6.58 करोड़ रुपये का लाभ दिखाया। इसी तरह 2018-19 के दौरान जीआईएल को 73 करोड़ रुपये का घाटा हुआ था जो 2019-20 में बढ़कर 97 करोड़ रुपये और 2020-21 में 92 करोड़ रुपये हो गया, अब जीआईएल ने भी 1 अक्टूबर 21 से 31 मार्च 2022 के बीच की अवधि के लिए 1.17 करोड़ रुपये का लाभ दिखाया है। 2018-19 के दौरान, टीसीएल को 221 करोड़ रुपये का घाटा हुआ था जो 2019-20 में बढ़कर 379 करोड़ रुपये और 2020-21 में 229 करोड़ रुपये हो गया,

एडब्ल्यूईआईएल ने 1 अक्टूबर 21 से 31 मार्च 2022 के बीच की अवधि के लिए 24.70 करोड़ रुपये का लाभ दर्ज करने का भी प्रस्ताव रखा।

4. मंत्रालय द्वारा समिति को यह भी सूचित किया गया कि ये नए उपक्रम 1 अक्टूबर 2021 से 31 मार्च 2022 के बीच की अवधि के लिए अपनी लागत को कम से कम करके एमआईएल के मामले में न्यूनतम 7.4 प्रतिशत और आईओएल के मामले में से 59.42 प्रतिशत तक की बचत दिखा रहे हैं या अपनी लागत कम कर रहे हैं। कुल मिलाकर इन उपक्रमों में 92.43 करोड़ रुपये की बचत हुई थी। समिति समझती है कि ये डीपीएसयू नवजात अवस्था में हैं और सरकार और प्रबंधन इन इकाइयों को व्यवहार्य और लाभदायक बनाने के लिए अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं। समिति आशा व्यक्त करती है कि भविष्य में लाभ वृद्धिशील हो जाएगा और डीपीएसयू राष्ट्र की प्रगति में पुराने डीपीएसयू के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम करेंगे। समिति प्रत्येक नवगठित निगम द्वारा अपनी वृद्धि और लाभ को बनाए रखने के लिए तैयार की गई आयोजना/रोड मैप/समय-सीमा से अवगत कराना चाहेगी।

ऑर्डर बुक स्थिति

5. जहां तक अगले पांच वर्षों के लिए आयुध कारखानों की ऑर्डर बुक स्थिति का संबंध है, रक्षा मंत्रालय ने समिति को अवगत कराया कि वर्ष 2026-27 के बाद से एमआईएल और वाईआईएल को छोड़कर सभी डीपीएसयू में अपेक्षाकृत स्वस्थ ऑर्डर बुक की स्थिति है। वाईआईएल के मामले में, जिसने 2023-24 से कोई आदेश पंजीकृत नहीं किया है, मंत्रालय ने अवगत कराया है कि चूंकि यह पीएसयू मुख्य रूप से अन्य नई रक्षा कंपनियों को इंटरमिटेन्ट उत्पादों/कच्चे माल/घटकों की आपूर्ति करने के लिए है, इसलिए, वाईआईएल के मामले में सेवाओं के साथ अगले 05 वर्षों पर ऑर्डर बुक स्थिति लागू नहीं है। नई रक्षा कंपनियों के साथ अनुबंधों को आवश्यकताओं के अनुसार वर्ष-दर-वर्ष आधार पर पूरा किया जा रहा है। हालांकि एमआईएल और एडब्ल्यूईआईएल जैसे कुछ डीपीएसयू आने वाले वर्षों में 5,000 करोड़ रुपये और 10,000 करोड़ रुपये की ऑर्डर बुक का लक्ष्य लेकर चल रहे हैं, लेकिन अन्य संतोषप्रद स्थिति में नहीं हैं। जैसा कि रिपोर्ट में पहले कहा गया है, ये डीपीएसयू प्रारंभिक चरण में हैं और रक्षा मंत्रालय और सरकार के पूर्ण स्वामित्व वाली की संस्थाओं/संगठनों को उत्पादों की आपूर्ति करने के सुरक्षित सरकारी वातावरण में रहने के वर्षों के बाद ये नवजात कारपोरेट जगत के लिए बहुत नए हैं। इसलिए, समिति सिफारिश करती है कि यद्यपि एक विशेष या स्टॉप गैप व्यवस्था के रूप में, मंत्रालय द्वारा उन्हें आदेशों आदि के संबंध में उचित

सहायता प्रदान की जानी चाहिए, और समिति का यह मानना है कि आने वाले वर्षों में ये नए डीपीएसयू देश और विदेश दोनों में नए बाजारों का पता लगाएंगे और नए बाजार स्थापित करेंगे, और आत्मनिर्भर बन जाएंगे। समिति सिफारिश करती है कि मंत्रालय को विदेश मंत्रालय से सहयोग प्राप्त करना चाहिए ताकि विदेश मंत्रालय अपनी ओर से अपने राजनयिक चैनलों के माध्यम से डीपीएसयू के उत्पादों के लिए विदेशों में नए बाजारों का पता लगा सके।

<u>श्रमशक्ति</u>

6. समिति को यह जानकर प्रसन्नता हो रही है कि सरकार ने आयुध निर्माणियों के विभिन्न संघों द्वारा व्यक्त किए गए विचारों का संज्ञान लिया है, जिसका उल्लेख समिति की पूर्व की रिपोर्टों में किया गया है, और पूर्ववर्ती ओएफबी के सभी कर्मचारियों जो उत्पादन इकाइयों और गैर-उत्पादन इकाइयों से संबंधित थे, की पहचान की है, जिन्हें शुरू में बिना किसी प्रतिनियुक्ति भत्ते के विदेश सेवा की शर्तों पर डीम्ड डेपुटेशन पर दो साल की अवधि के लिए नए डीपीएसयू में सामूहिक रूप से स्थानांतरित किया गया था। वे उन सभी मौजूदा नियमों और आदेशों के अधीन बने रहेंगे, जो केंद्र सरकार के कर्मचारियों के वेतनमान, भत्ते, छुट्टी, चिकित्सा सुविधाओं, कैरियर की प्रगति और अन्य सेवा शर्तों पर लागू होते हैं। समिति ने यह भी नोट किया है कि सेवानिवृत्त लोगों और मौजूदा कर्मचारियों की पेंशन देनदारियों

को सरकार द्वारा रक्षा पेंशन के लिए रक्षा मंत्रालय के बजट से वहन किया जाना जारी रहेगा और सभी संबंधित मुद्दों को देखने के लिए आयुध समन्वय सेवा निदेशालय का भी गठन किया गया है। समिति इस बात से संतुष्ट है कि मंत्रालय के प्रतिनिधियों द्वारा दिए गए आश्वासन के अनुसार पूर्ववर्ती आयुध कारखानों के कर्मचारियों की सेवा शर्तों को इस तरह से नहीं बदला जाएगा कि उनको किसी तरह की कोई हानि हो। समिति ने आगे कहा कि नई कंपनियों में पिछले दो वर्षों से नई भर्ती पहले ही रोक दी गई है क्योंकि वे निगमीकृत होने की प्रक्रिया में थीं और इन कंपनियों में पहले से ही अधिक कर्मचारी हैं और 75,000 से अधिक कर्मचारी पहले से ही काम कर रहे हैं। समिति आशा व्यक्त करती है कि एक बार जब ये कंपनियां घरेलू बिक्री या निर्यात के माध्यम से लाभ अर्जित करना शुरू कर देंगी, तो प्रबंधन अधिक कर्मचारियों की भर्ती करने पर विचार करेगा।

<u>स्वदेशीकरण</u>

7. अनुदान मांगों की जांच के दौरान नवगठित डीपीएसयू के प्रतिनिधियों ने समिति को सूचित किया कि कुछ सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को छोड़कर, उनके द्वारा निर्मित उत्पादों का स्वदेशीकरण प्रतिशत 90 प्रतिशत से अधिक है। म्यूनीशन्स इंडिया लिमिटेड में वर्तमान स्वदेशीकरण सामग्री 95% है। बख्तरबंद वाहन निगम लिमिटेड (एडब्ल्यूईआईएल) में बीएमपी-II के लिए टी-90 टैंक और

यूटीडी-20 इंजन को छोड़कर, जिनमें स्वदेशीकरण सामग्री क्रमशः 80.1 प्रतिशत और 83.04 प्रतिशत है, एडब्ल्यूईआईएल के अन्य सभी उत्पादों में 95 प्रतिशत से अधिक स्वदेशीकरण प्रतिशत है। यंत्र इंडिया लिमिटेड में 100 प्रतिशत स्वदेशी सामग्री है और एडब्ल्यूईआईएल, आईओएल में भी 90 प्रतिशत से अधिक का स्वदेशीकरण प्रतिशत है। समिति को उम्मीद है कि बहुत सावधानीपूर्वक आयोजना और विवेकपूर्ण उत्पादन और विपणन प्रबंधन प्रणालियों के साथ, सभी डीपीएसयू में 100 प्रतिशत स्वदेशी सामग्री होगी, विशेष रूप से 'धनुष' जैसे उत्पादों में। समिति चाहती है कि इस तरह के उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए शुरू किए गए/नियोजित उपायों पर उसके समक्ष एक विस्तृत नोट प्रस्तुत किया जाए।

<u>अनुसंधान और विकास व्यय</u>

8. समिति ने नोट किया कि एमआईएल का अनुसंधान एवं विकास व्यय वीओआई (निर्गम का मूल्य) के 0.15 प्रतिशत से 0.77 प्रतिशत तक होता है। मंत्रालय के एक प्रतिनिधि द्वारा दी गई सूचना के अनुसार इसे अगले वर्ष बढ़ाकर एक प्रतिशत कर दिया जाएगा। एवीएएनआई उत्पादों में सुधार के लिए 43 इकाइयों पर अनुसंधान और विकास का कार्य कर रहा है और उसने शैक्षणिक संस्थानों और उद्योग के सहयोग से प्रमुख प्लेटफार्मों को विकसित करने का फैसला किया है। आईओएल आर एंड डी पर वीओआई का 0.30 प्रतिशत योगदान देता है, जो काफी

कम भी है। एडब्ल्यूईआईएल का आर्टिलरी गन के विकास पर मुख्य ध्यान केंद्रित है, लेकिन यह स्पष्ट नहीं है कि यह अनुसंधान और विकास पर खर्च की जा रही राशि है। टीसीएल आर एंड डी पर वीओआई का 0.22 प्रतिशत खर्च कर रहा है और इसने निकट भविष्य में 2-3 प्रतिशत तक बढ़ाने की योजना बनाई है। वाईआईएल ने कंपनी को व्यावसायिक रूप से व्यवहार्य बनाने के लिए अनुसंधान और विकास पर ध्यान केंद्रित करने का भी लक्ष्य निर्धारित किया है। जीआईएल ने कहा है कि वह आरएंडडी पर 15 लाख रुपये खर्च कर रहा है लेकिन इसे बढ़ाने की योजना बना रहा है। समिति को इस बात की खुशी है कि ये नए डीपीएसयू अनुसंधान एवं विकास पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं ताकि प्रतिस्पर्धी वातावरण में खुद को स्थापित किया जा सके। तथापि, समिति की ओर से यह चूक होगी यदि वे यह सिफारिश नहीं करते हैं कि उनके लाभ का एक लक्षित प्रतिशत प्रतिवर्ष अनुसंधान एवं विकास व्यय के रूप में अलग रखा जाए। यहां समिति यह भी सिफारिश करेगी कि उत्पादों की बिक्री के अलावा, निगम भारत के भीतर और विदेशों में, विशेष रूप से विकासशील देशों में अपनी प्रौद्योगिकियों को बेचने की संभावना पर विचार करें।

<u>निर्यात</u>

9. अनुदान मांगों 2022-23 पर विचार-विमर्श के दौरान, रक्षा मंत्रालय के एक प्रतिनिधि ने समिति को अवगत कराया कि एमआईएल, वाईआईएल और एडब्ल्यूईआईएल को छोड़कर किसी भी अन्य नवनिर्मित डीपीएसयू को कोई निर्यात अनुबंध नहीं दिया गया है। एमआईएल ने पहले ही 87 करोड़ रुपये के निर्यात आदेश प्राप्त कर लिए हैं और इसका लक्ष्य अगले साल तक निर्यात को जारी करने के वार्षिक मूल्य के मौजूदा 2% से बढ़ाकर 8% करना है। एवीएएनआई ने नौसेना की बंदूकें, वायु रक्षा बंदूकें और छोटे हथियारों के हथियारों सहित निर्यात में कई पहल की हैं। आईओएल ने अल्जीरिया, श्रीलंका, मध्य पूर्व देशों, फिलीपींस, दक्षिण अफ्रीका, नाइजीरिया, भूटान और नेपाल जैसे निर्यात के लिए देशों पर ध्यान केंद्रित किया है, हालांकि, इसने अभी तक कुछ भी निर्यात नहीं किया है। एडब्ल्यूईआईएल ने निर्यात से कमाई करने के लिए एक अलग से विशेष निर्यात संवर्धन समूह भी शुरू किया है। वाईआईएल को उच्च कैलिबर आर्टिलरी गोले और 155 एमएम ईआरएफबी एचई (बीटी/बीबी) गोले (40,000 नंबर) का निर्यात करना होगा। 200 करोड़ रुपये की कीमत) और 7.62 मिमी गोला बारूद, और 5.56 मिमी गोला बारूद के 250 मिलियन संख्या के अपने अपेक्षित निर्यात आदेशों के लिए एमआईएल को पीतल और जीएम कप की आपूर्ति के लिए एक आदेश की उम्मीद कर रहा है। जीआईएल ने दक्षिण पूर्व और मध्य एशिया के विभिन्न बाहरी देशों को एसयू30 के

लिए ब्रेक पैराशूट, जगुआर के लिए ब्रेक पैराशूट और एमआईजी-21 के लिए ब्रेक पैराशूट जैसे विभिन्न पैराशूट का निर्यात किया है। वर्तमान में जीआईएल दक्षिण पूर्व एशिया और अमेरिका/यूरोप में निर्यात लीड का सक्रिय रूप से अनुसरण कर रहा है। समिति सिफारिश करती है कि ऐसे प्रयास किए जाने चाहिए ताकि भविष्य में प्रत्येक निगम द्वारा और अधिक निर्यात आदेश प्राप्त किए जा सकें और इस उद्देश्य को प्राप्त करने में कोई कसर नहीं छोड़ी जानी चाहिए। समिति आशा व्यक्त करती है कि स्पोर्ट्स क्लब आदि के पैराशूटों की मरम्मत के संबंध में जीआईएल को सौंपे गए अवसर को उनके द्वारा पूरी तरह से भुनाया जाना चाहिए और उन्हें भारत और विदेशों में खेल क्लबों को टिकाऊ और लागत प्रभावी पैराशूट की आपूर्ति करने के बारे में भी सोचना चाहिए।

<u>नए डीपीएसयू द्वारा सामना की जाने वाली चुनौतियां</u>

10. अनुदान मांगों की जांच के दौरान, नए डीपीएसयू के सीएमडी ने पूर्ववर्ती आयुध कारखानों के निगमीकरण के बाद उनके सामने आने वाली निम्नलिखित चुनौतियों/समस्याओं को प्रस्तुत किया है:

1. सरकारी सेटअप से वाणिज्यिक इकाई के पक्ष में बढ़े हुए कार्यभार में परिवर्तन - उच्च विस्फोटकों, छोटे हथियारों के गोला-बारूद के निर्माण

में लगे कारखानों को उप-इष्टतम पर्याप्त रूप से सुसज्जित नहीं किया गया है

2. **डीम्ड अनुबंध, जो कार्यभार का लगभग 85% है, में लाभ का कोई प्रावधान नहीं है**
3. **उपलब्ध और आवश्यक कौशल के बीच अंतर**
4. **नई व्यवस्था को अपनाने के लिए कर्मचारियों का मन बदलने का तरीका**
5. **संचालन को लाभदायक बनाने के लिए**
6. **सीमित / प्रतिबंधित विक्रेता आधार**
7. **आयात / उत्पाद समर्थन आइटम की समय पर प्राप्ति**
8. **वर्तमान में टीओटी आधारित निर्माता होने से स्वदेशी रूप से डिजाइन किए गए उत्पादों / प्रणालियों के निर्माता के रूप में उभरना।**
9. **ग्राहक आधार बढ़ाकर नए डीपीएसयू पर निर्भरता को कम करना।**
10. **लेखांकन, लेखा परीक्षा, लागत, और अनुपालन के क्षेत्र में सलाहकारों को काम पर रखना।**
11. **उप-इष्टतम कार्यभार के कारण उत्पादन की उच्च लागत.**

समिति ने सिफारिश की है कि मंत्रालय को हर संभव प्रयास करने चाहिए ताकि उचित परिश्रम करके और प्रत्येक नवगठित डीपीएसयू की आवश्यकताओं

और मांगों को उचित रूप से पूरा करके नए डीपीएसयू का समर्थन किया जा सके ताकि वे व्यवहार्य हो सकें। यदि आवश्यक हो तो मंत्रालय समय-समय पर त्रुटियों की समीक्षा करने और इसके समाधान के तरीकों और साधनों का पता लगाने के लिए एक कार्यबल का गठन कर सकता है।

रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन

<u>बजट आवंटन</u>

11. मंत्रालय द्वारा प्रस्तुत आंकड़ों से समिति ने पाया कि वर्षों से डीआरडीओ का बजट रक्षा बजट का लगभग 5-6% रहा है। हालाँकि, इसमें मुद्रास्फीति की लागत एवं सामरिक योजनाओं व सीसीएस परियोजना/कार्यक्रम, वेतन एवं भत्तों तथा अन्य गैर-वेतन राजस्व व्यय पर होने वाले व्यय की राशि जो प्रति वर्ष बढ़ती रहती हैं, के अनुरूप वृद्धि नहीं हो रही है। वर्ष 2021-22 में, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन ने 23460.44 करोड़ रुपए की धनराशि का अनुमान लगाया था जबकि अंतिम आवंटन 18,227.44 करोड़ रुपए का किया गया जो प्रारम्भिक अनुमान से 5122.56 करोड़ रुपए कम है। यह आवंटन वर्ष 2021-22 के बजट अनुमान स्तर पर किए गए आवंटन से भी कम है। 2022-23 के बजट अनुमान में डीआरडीओ ने 22,990 करोड़ रुपए की मांग की, जबकि किया गया आवंटन मात्र 21,330.20

करोड़ रुपए है। इस प्रकार आवंटन में 1659.80 करोड़ रुपए की कमी हुई। समिति आशा व्यक्त करती है कि डीआरडीओ के बजट आवंटन में की गई कटौती से संगठन की परिचालन आवश्यकताओं और अनुसंधान एवं विकास गतिविधियों में समझौता नहीं होना चाहिए। इसलिए, समिति सिफारिश करती है कि जहां आवश्यक हो, डीआरडीओ को संशोधित अनुमानों/पूरक चरण में अतिरिक्त धन की मांग करनी चाहिए ताकि उनकी अनुसंधान एवं विकास गतिविधियां निर्धारित समय सीमा के अनुसार आगे बढ़ें।

<u>अनुसंधान और विकास व्यय</u>

12. समिति चिंता के साथ नोट करती है कि पिछले वर्षों के दौरान समग्र सकल घरेलू उत्पाद में रक्षा अनुसंधान एवं विकास के लिए व्यय के प्रतिशत में कोई वृद्धि नहीं हुई है। दरअसल 2016-17 में प्रतिशत 0.088 प्रतिशत था, जो 2020-21 में घटकर 0.083 प्रतिशत हो गया है। कुल रक्षा व्यय की तुलना में अनुसंधान एवं विकास पर व्यय का विश्लेषण करते हुए, यह चीन जैसे अन्य विकसित देशों की तुलना में बहुत कम पाया गया जो अपने रक्षा बजट की तुलना में अनुसंधान एवं विकास पर अपने संबंधित बजट का 20% और यूएसए 12% खर्च कर रहे हैं। समिति का विचार है कि वर्तमान अंतरराष्ट्रीय परिदृश्य को देखते हुए, जहां दुनिया

भर में चल रहे संघर्षों के कारण खतरे की आशंका बढ़ रही है, राष्ट्रीय सुरक्षा हित को सर्वोपरि रखना आवश्यक है। इसलिए, समिति सिफारिश करती है कि रक्षा अनुसंधान के लिए पर्याप्त धन मुहैया कराया जाना चाहिए, ताकि रणनीतिक परियोजनाओं को पूरी क्षमता के साथ शुरू किया जा सके।

<u>जनशक्ति</u>

13. मंत्रालय द्वारा उपलब्ध कराए गए आंकड़ों के आधार पर समिति नोट करती है कि डीआरडीओ में वैज्ञानिकों की अधिकृत संख्या 7773 है जबकि मौजूदा संख्या 6965 है। 808 वैज्ञानिकों की कमी है जो स्वीकृत संख्या के 10% से थोड़ा अधिक है। डीआरडीओ के प्रतिनिधि ने समिति को सूचित किया कि संगठन वैज्ञानिकों की भर्ती की प्रक्रिया में है। वैज्ञानिकों की भर्ती प्रक्रिया में तेजी और इसे जल्द से जल्द पूरा करने की समिति अनुसंशा करती है ताकि युवा प्रतिभा को रक्षा अनुसंधान में सेवा करने का अवसर मिल सके। डीआरडीओ जैसे संगठन में सीधे तौर पर योगदान देने वाली कुशल जनशक्ति केवल वैज्ञानिकों की होती है और ऐसे में समिति यह बताना चाहेगी कि वैज्ञानिकों की कमी को बहुत गंभीरता से लिया जाए। यह स्पष्ट है कि डीआरडीओ का मजबूत आर एंड डी सेटअप निश्चित रूप से हमारे सशस्त्र बलों को मजबूत करेगा और देश के लिए प्रतिरोधी क्षमता विकसित

करेगा। समिति यह भी नोट करती है कि पिछले पांच वर्षों के दौरान 147 वैज्ञानिकों ने व्यक्तिगत आधार पर डीआरडीओ छोड़ दिया। समिति का विचार है कि डीआरडीओ में सेवा को आकर्षक बनाने और प्रतिभा पलायन को रोकने के लिए मंत्रालय को डीआरडीओ में कार्य निष्पादन संबंधी प्रोत्साहन योजना (पीआरआईएस) शुरू करने जैसे उपाय करने चाहिए। समिति का मत है कि इस योजना से न केवल संगठन के प्रतिभाशाली कर्मियों को लाभ मिलेगा बल्कि उन्हें संगठन में बनाए रखने में मदद मिलेगी और इसके परिणामस्वरूप देश में अनुसंधान एवं विकास का समग्र विकास होगा।

<u>निजी उद्योग की भागीदारी</u>

14. रक्षा मंत्रालय की अनुदानों की मांगों की जांच के दौरान, समिति को यह बताया गया कि डीआरडीओ निजी क्षेत्र के साथ प्रौद्योगिकियों को साझा कर रहा है और निजी क्षेत्र की कंपनियों को परीक्षण सुविधाएं भी प्रदान कर रहा है। केवल पिछले वर्ष ही 300 से अधिक उद्योगों ने डीआरडीओ परीक्षण सुविधाओं का उपयोग किया। ये अवसर उन उद्योगों को दिए जा रहे हैं जो हमारे सशस्त्र बलों के लिए उत्पाद बना रहे हैं। समिति राष्ट्रीय रक्षा क्षेत्र में निजी क्षेत्र की भागीदारी की सराहना करती है। हालांकि, समिति सावधान करना चाहती है कि डीआरडीओ

की प्रौद्योगिकियों और उत्पादों को केवल राष्ट्रीय रक्षा के लिए संरक्षित, उपयोग सुनिश्चित करने में सावधानी बरती जाए और उन्हें विरोधियों के हाथों में स्थानांतरित न किया जाए। डीआरडीओ को सुनिश्चित करना चाहिए कि वे अपने अनुसंधान और बौद्धिक संपदा अधिकार को सुरक्षित रखें ।

<u>उत्कृष्टता केंद्र और विश्वविद्यालयों/शैक्षणिक संस्थानों के साथ सहयोग</u>

15. समिति को सूचित किया गया कि डीआरडीओ विभिन्न पद्धतियों और योजनाओं के माध्यम से शैक्षणिक संस्थानों के सहयोग से कार्य कर रहा है, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ उत्कृष्टता के लिए दस केंद्रों की स्थापना भी शामिल है। 12वीं योजना अवधि के दौरान 400 करोड़ रुपये की राशि विभिन्न विश्वविद्यालयों और शैक्षणिक संस्थानों को प्रायोजित की गई तथा 1048 करोड़ रुपए 633 अनुसंधान परियोजनाओं के लिए प्रायोजित किए गए। समिति विभिन्न संस्थानों और केंद्रों की भागीदारी के माध्यम से हासिल की गई उपलब्धियां जानना चाहती थी। इस संबंध में, यह पाया गया कि विभिन्न केंद्रों पर विकास के चरण में कई प्रौद्योगिकियां हैं जैसे कि हल्के वजन वाली बुलेट प्रूफ सामग्री, बैलिस्टिक और विस्फोट सुरक्षा सामग्री, हाइपरसोनिक व्हिक्लस के लंबी दूरी के लिए सक्षम करने वाली प्रौद्योगिकियां, आदि। समिति इन शैक्षणिक संस्थानों में हो रही प्रगति की

सराहना करती है और चाहती है कि डीआरडीओ विभिन्न रक्षा प्रौद्योगिकियों के विकास के लिए देश भर में प्रतिभाओं को आकर्षित करती रहे ।

16. समिति यह भी देखती है कि विभिन्न प्रकार की अनुसंधान योजनाओं आदि के लिए सहायता अनुदान योजनाओं के तहत आवंटित धन के उपयोग में महत्वपूर्ण कमी है। चालू वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए 31250 करोड़ रुपये के आवंटन के मुकाबले, 31 दिसंबर 2021 तक केवल 11821 करोड़ रुपये का उपयोग किया गया है। अतः समिति अनुशंसा करती है कि इन अनुसंधान योजनाओं के लिए आवंटित निधियों के बेहतर उपयोग के लिए गंभीर प्रयास किए जाने की आवश्यकता है और समिति को सूचित करते हुए तिमाही या अर्ध-वार्षिक आधार पर व्यय पैटर्न की नियमित निगरानी के लिए एक तंत्र विकसित किया जाए।

<u>ब्रह्मोस मिसाईल का निर्यात</u>

17. समिति यह जानकर प्रसन्न है कि डीआरडीओ द्वारा विकसित उत्पाद अंतरराष्ट्रीय बाजारों में भी अपनी पहचान बना रहे हैं। मौखिक साक्ष्य के दौरान समिति को यह जानकर प्रसन्नता हुई कि तटीय प्रक्षेपित ब्रह्मोस मिसाइल प्रणाली की आपूर्ति के लिए फिलीपींस के साथ एक अनुबंध पर हस्ताक्षर किए गए हैं।

समिति इस बात की इच्छुक है कि डीआरडीओ की निर्यात क्षमता को बढ़ाने के प्रयास किए जाने चाहिए ताकि यह संगठन रक्षा क्षेत्र से संबंधित विशाल वैश्विक बाजार का लाभ उठाने में सक्षम हो सके। इससे न केवल संगठन को लाभ होगा बल्कि देश का वित्तीय राजकोष भी बढ़ेगा । समिति ने सिफारिश की है कि मंत्रालय को अन्य मंत्रालयों अर्थात् वाणिज्य मंत्रालय और विशेष रूप से विदेश मंत्रालय के साथ समन्वय स्थापित करके काम करना चाहिए, जिससे अधिक निर्यात आदेश प्राप्त करने में सहायता मिलेगी और राजनयिक प्रयासों के माध्यम से मुश्किल कामों को करना आसान होगा। विदेशों में भारतीय मिशनों में तैनात सैनिक अताशे की भूमिका पर फिर से विचार करने की जरूरत है,अंततः उन्हें इस संबंध में अधिक उत्तरदायी और सक्रिय बनाने के लिए फिर से परिभाषित किया जाना चाहिए। समिति इस मुद्दे पर की गई कार्रवाई का जवाब प्रस्तुत करते समय मंत्रालय द्वारा उठाए गए कदमों से भी अवगत होना चाहती है।

18. समिति इस बात को जानकर प्रसन्न है कि डीआरडीओ द्वारा बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस प्रणाली के पहले चरण को सफलतापूर्वक पूरा कर लिया (बीएमडी) गया है, जोकि राष्ट्रीय रक्षा की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। समिति सिफारिश करती है कि डीआरडीओ की रणनीतिक परियोजनाओं में मिसाइल और वायु रक्षा प्रणाली हेतु एक व्यापक दृष्टिकोण को अपनाया जाना चाहिए।

<u>तेजस एलसीए और अर्जुन मुख्य युद्धक टैंक (एमबीटी) का स्वदेशीकरण</u>

19. वर्ष 2021-22 के लिए रक्षा मंत्रालय की अनुदानों की मांगों के संबंध में साक्ष्य के दौरान, समिति को सूचित किया गया था कि तेजस एलसीए और अर्जुन एमबीटी में क्रमशः भारतीय वायु सेना और सेना द्वारा कुछ सुधार करने हेतु सुझाव दिये गये थे, और सुझाए गए सुधारों को सफलतापूर्वक अपनाया गया और इनका उपयोगकर्ताओं द्वारा मूल्यांकन किया गया। रक्षा मंत्रालय द्वारा दी गई जानकारी का अध्ययन करने के बाद, समिति ने पाया कि अर्जुन एमबीटी के संबंध में मिसाइल के प्रावधान का मुद्दा अभी तक लंबित है। समिति के अनुसार उचित मिसाइल गोला-बारूद के बिना, टैंक की फायरिंग क्षमता सेना को प्रभावी ढंग से सेवा देने में सक्षम नहीं होगी। समिति इस बात की इच्छुक है कि डीआरडीओ अर्जुन एमबीटी के लिए मिसाइल के त्वरित प्रावधान के लिए समाधान करेगी । समिति यह जानकर प्रसन्न है कि एचएएल को 83 एलसीए तेजस के उत्पादन का आदेश मिला है जिसे डीआरडीओ द्वारा विकसित किया गया था। समिति यह सिफारिश करती है कि निकट भविष्य में एलसीए तेजस के उन्नत और घातक संस्करणों को पेश करने हेतु और अधिक प्रयास किए जाने चाहिए । साथ ही समिति यह भी सिफारिश करती है कि एचएएल को स्वयं को इस प्रकार बनाना

चाहिए कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बाजार क्षेत्रों की आवश्यकताओं के अनुरूप अपने आप को ढाल सके ताकि समय आने पर वह मित्र देशों को निर्यात के लिए विमानों का निर्माण करने की स्थिति में हो ।

डीजीक्यूए

बजट

20. समिति नोट करती है कि 1343.10 करोड़ रु0 के कुल बजट अनुमान की तुलना में बजट अनुमान 2022-23 में राजस्व और पूंजी शीर्ष दोनों के लिए डीजीक्यूए को 1304.08 करोड़ रु0 का आबंटन किया गया। इसी तरह, राजस्व शीर्ष के अंतर्गत अनुमान 1323.10 करोड़ रु0 था जबकि आवंटन 1284.08 करोड़ रु0 था। चूंकि राजस्व मद के लिए आवंटन में लगभग रु. 39.02 करोड़ रु0 की कमी है, समिति इसके कारणों को जानना चाहेगी और यह भी जानना चाहेगी कि संशोधित अनुमान स्तर पर आवंटन बढ़ाए जाने की आशा है या नहीं। समिति यह भी नोट करती है कि वर्ष 2021-22 में, संशोधित उपयुक्त चरण आवंटन के समय राजस्व बजट 1031.17 करोड़ रुपये था और व्यय केवल 827.53 करोड़ रु. था। इसी तरह, पूंजीगत बजट में संशोधित उपयुक्त स्तर के बाद आवंटन 10.67 करोड़ रुपये था जबकि किया गया व्यय 4.02 करोड़ रुपये बहुत कम था। मंत्रालय द्वारा उपलब्ध कराए गए आंकड़ों से वर्ष 2018-19 से 2020-21 तक आवंटित

बजट के कम उपयोग की एक समान प्रवृत्ति भी देखी जाती है। समिति दृढ़ता से महसूस करती है कि सार्वजनिक संसाधनों का बहुत विवेकपूर्ण उपयोग किए जाने की आवश्यकता है और यह बहुत महत्वपूर्ण है कि आवश्यक धनराशि का अनुमान वास्तविक रूप से किया जाना चाहिए अन्यथा राजकोष पर अनावश्यक रूप से बोझ डालने के अलावा, यह इन निधियों को रक्षा के अन्य विभागों द्वारा लाभप्रद उपयोग से भी वंचित करता है। समिति ने डीजीक्यूए की ओर से ठोस व्यय योजना बनाने की सिफारिश की है ताकि निधियों का इष्टतम उपयोग सुनिश्चित किया जा सके और पूरे वर्ष व्यय के वितरण में एकरूपता बनाए रखी जा सके।

<u>निरीक्षण और गुणवत्ता आश्वासन</u>

21. समिति ने उपलब्ध कराए गए आंकड़ों से नोट किया कि निरीक्षण किए गए स्टोर के मूल्य पिछले कुछ वर्षों में 2017-18 में 34407.5 से घटकर 2021-22 में 16287.6 हो गया है, जो स्पष्ट रूप से मूल्य में हो रहे लगातार गिरावट का द्योतक है। डीजीक्यूए के एक प्रतिनिधि ने मौखिक साक्ष्य के दौरान स्वीकार किया कि कारखानों में कम उत्पादन और कोरोना महामारी के कारण पिछले वर्ष के आंकड़ों में गिरावट आई है। समिति को यह भी बताया गया कि फील्ड, सेना और सैन्य बलों से प्राप्त फीडबैक के आधार पर सशस्त्र बलों के सामने आने वाली

कमियों, शिकायतों और कठिनाइयों की पहचान करने के लिए एक विस्तृत जांच की जाती है।

22. समिति उपयोगकर्ता की प्रतिक्रिया प्राप्त करने के लिए डीजीक्यूए द्वारा अपनाई जा रही प्रक्रिया की सराहना करती है जो उत्पाद की गुणवत्ता का महत्वपूर्ण विश्लेषण करके प्रगतिशील सुधार को सुगम बनाता है। तथापि, समिति इस बात से अवगत है कि विभिन्न उपाय किए जाने के बावजूद, कभी-कभी दोषपूर्ण वस्तुएँ सैन्य बलों तक पहुँच जाती हैं। समिति ने अपनी पिछली रिपोर्टों में इस कमी को उजागर किया था। इसलिए, समिति सिफारिश करती है कि उत्पादन के विभिन्न चरणों में निरीक्षण करते समय न केवल उपयोगकर्ता के विश्वास स्तर को सुनिश्चित करने के लिए बल्कि विभिन्न प्लेटफॉर्म और उपस्कर के उपयोग में सटीकता प्राप्त करने के लिए भी डीजीक्यूए द्वारा त्रुटिविहीन स्तर प्राप्त करने के लिए हर संभव प्रयास किए जाने की आवश्यकता है। तभी पैसे की कीमत प्राप्त की जा सकती है।

23. मंत्रालय द्वारा दिए गए उत्तरों से यह स्पष्ट नहीं है कि पूंजी और राजस्व बजट के संबंध में समिति को दी गई जानकारी और आंकड़े डीजीक्यूए के आंकड़ों में शामिल हैं या डीजीएक्यूए, डीजीएक्यूए (नौसेना) के संबंध में उनकी अलग

सांख्यिकीय जानकारी मौजूद है। समिति इस संबंध में स्पष्टीकरण चाहती है ताकि वे मंत्रालय द्वारा दिए गए आंकड़ों से बेहतर निष्कर्ष पर पहुंच सकें।

एनसीसी

बजट

24. समिति गत पांच वर्षों से संबंधित सूचना और इनका विशिष्ट चयन करने के पश्चात् पाई है कि वर्ष 2017-18 के दौरान राजस्व और पूंजी सहित कुल आवंटन 1449.63 करोड़ रुपये या जबकि व्यय की राशि 1377.21 करोड़ रुपये भी। इसी प्रकार वर्ष 2018-19 के दौरान 1551.58 करोड़ रुपये की धनराशि आवंटित किए जाने पर 1434.92 करोड़ रुपये व्यय किया गया। परवर्ती वर्षों और वर्ष 2021-22 में भी कम व्यय करने का क्रम जारी रहा और एनसीसी 369 करोड़ रुपये की धनराशि व्यय नहीं कर पाई।

समिति यह भी नोट करती है कि वेतन के अतिरिक्त राजस्व व्यय जिससे स्टोर कैम्प, प्रशिक्षण कार्यकलाप, राजस्व कार्य, सूचना प्रौद्योगिकी, परिवहन इत्यादि संबंधी अपेक्षाएं पूरी की जाती है। वर्ष, 2021-22 के दौरान बजट प्राक्कलन में आवंटित बजट 350.43 करोड़ रुपये था जबकि वर्ष 2022-23 में बजट प्राक्कलन में मात्र 308 करोड़ रुपये की धनराशि आवंटित की गई है जो कि पिछले

वर्ष के आवंटन की तुलना में 42.43 करोड़ रुपये कम है। समिति का विचार है कि क्रियान्वयन में कमी करने के परिणामस्वरूप एनसीसी के विभिन्न कार्यकलापों और कार्यकरण पर किए जाने वाले व्यय के साथ समझौता करना पड़ेगा साथ ही इसके अहम लक्ष्यों की प्राप्ति में भी कठिनाईयां उत्पन्न होंगी। समिति इस बात को भलीभांति समझती है कि एनसीसी की भूमिका और इसके दायित्व की प्रकृति विविध है और संगठन राष्ट्रीय अखंडता के आधारभूत स्तर के रूप में कार्य करता है। इसलिए समिति की सिफारिश है कि आवंटन में प्रतिवर्ष उत्तरोत्तर वृद्धि की जानी चाहिए ताकि एनसीसी के प्रशिक्षण और कैम्प की गतिविधियों पर प्रतिकूल असर नहीं हो। समिति आग्रह करती है कि एनसीसी हर संभव उपाय करे ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि भविष्य में आवंटित धनराशि से कम राशि व्यय नहीं की जाए और मंत्रालय को भी एनसीसी की मांगों को पूरा करने में सहयोगपूर्ण रूख अपनाना चाहिए।

<u>सशस्त्र बल, रक्षा क्षेत्र के सरकारी उपक्रम और निजी क्षेत्र में प्रशिक्षण और रोजगार</u>

25. समिति एनसीसी कैडेट की अपेक्षाओं को पूरा करने तथा रोजगार के प्रयोजनार्थ एनसीसी 'सी' प्रमाण-पत्र धारकों को प्राथमिकता देने के लिए निजी उद्येगों को तत्पर करने में मंत्रालय द्वारा की गई पहलों की सराहना करती है।

इसके फलस्वरूप, समिति यह जानकर प्रसन्न है कि एक कारपोरेट औद्योगिक घराने की ओर से 300 एनसीसी कैडेट को नौकरियां दी गई हैं। इसके अलावा, समिति को ज्ञात हुआ कि कुछ राज्य सरकारें एनसीसी कैडेट को नौकरियों में अधिमान्यता दे रही हैं और एनसीसी कैडेट के लाभप्रद नियोजन हेतु मंत्रालय भी इस विषय को निरंतर उनके समक्ष प्रस्तुत कर रहा है। 'सी' प्रमाण-पत्र धारकों को तेलंगाना राज्य में आयुर्विज्ञान और अभियंत्रण महाविद्यालयों में प्रवेश में प्राथमिकता दिए जाने के विषय पर एनसीसी के प्रतिनिधियों ने समिति को यह भी जानकारी दी कि इस मामले पर विचार किया जा रहा है और मंत्रालय इस मामले को जोर-शोर से उठा रहा है। समिति को यह भी जानकारी दी गई कि मर्चेंट नेवी की भर्ती में एनसीसी कैडेट को प्राथमिकता देने के लिए भी प्रयास किए जा रहे हैं। समिति को यह भी जानकारी दी गई कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) के साथ सक्रियतापूर्वक और तत्परता से मामले को उठाने के बाद लगभग 1800 महाविद्यालय और विश्वविद्यालय अपने कार्यक्रम (प्रोग्राम) में क्रेडिट कार्स के रूप में एनसीसी को शामिल करने पर सहमत हो गए हैं।

मंत्रालय द्वारा इस दिशा में दिए गए प्रयासों की सराहना करते हुए समिति की इच्छा है कि मंत्रालय को और अधिक ठोस प्रयास करने की आवश्यकता है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि अधिकतम संख्या में एनसीसी कैडेट जिसमें से बहुत से लोगों के पास 'सी' प्रमाण-पत्र नहीं हो सकता है, उन्हें भी

सरकारी और निजी दोनों क्षेत्रों में लाभप्रद नियोजन की प्रसुविधा दी जाए। समिति की इच्छा है कि मंत्रालय को राज्य सरकारों के साथ केंद्रित प्रयास और व्यापक परामर्शदायी प्रक्रिया शुरू करना चाहिए ताकि विभिन्न क्षेत्रों में उपयुक्त नौकरियों के लिए एनसीसी कैडेट को अधिकतम रोजगार प्राप्त करने में समर्थ बनाया जा सके। समिति का मानना है कि अधिक से अधिक विद्यार्थियों को भविष्य में एनसीसी में शामिल होने के लिए प्रेरित किया जा सकता है, यदि उनके नियोजन के संबंध में निश्चितता हो और उसके साथ-साथ इस बारे में स्पष्ट लक्ष्य सहित सुपरिभाषित रणनीति हो। समिति की गई कार्रवाई का उत्तर प्रस्तुत करते समय इस संबंध में मंत्रालय द्वारा उठाए गए कदमों और इसके फलाफल के बारे में जानना चाहती है।

<u>एनसीसी और एसएफएस स्कीम का विस्तार</u>

26. मंत्रालय द्वारा प्रस्तुत उत्तर से समिति नोट करती है कि भारत में 18864 ऐसी संस्थाएं हैं जहां विद्यार्थी एनसीसी का विकल्प चुन सकते हैं। इनमें से 13883 संस्थाएं सरकारी हैं और 4981 निजी संस्थाएं हैं। पिछले दो वर्षों में सीमावर्ती और तटवर्ती क्षेत्रों में 1283 संस्थाओं को जोड़ा गया है। समिति के समक्ष विचार-विमर्श के दौरान एनसीसी के महानिदेशक ने जानकारी दी है कि कुल

17 लाख कैडेट के स्थान पर वर्तमान में एनसीसी में 15 लाख कैडेट हैं और कोविड आदि के कारण विद्यालयों के देर से खुलने के कारण यह फासला उत्पन्न हुआ। समिति ने अपने पिछले प्रतिवेदनों में एनसीसी की सुविधा शुरू करने के इच्छुक संस्थाओं की बढ़ती हुई संख्या का भी विषय उठाया। इन संस्थाओं के नाम पुन: प्रतीक्षा सूची में रखे गए हैं। प्रतीक्षा सूची में सम्मिलित संस्थाओं की संख्या बढ़कर 8472 हो गई है। इस बात के मद्देनजर कि एनसीसी की भावना से चरित्र, मैत्रीभाव विकसित होने के साथ-साथ युवा नागरिकों में अनुशासन और नि:स्वार्थ सेवा भाव प्रोदभूत होता है, समिति की सिफारिश है कि प्रतीक्षा सूची में सम्मिलित संस्थाओं के बैकलॉग को यथाशीघ्र क्लियर किया जाए। समिति आशा करती है कि हाल ही में शुरू की गई एसएफएस योजना जहां कैडेट को स्वयं ही प्रशिक्षण संबंधी व्यय वहन करना पड़ता है, इससे निश्चित तौर पर एनसीसी का वित्तीय बोझ घटेगा। समिति एनसीसी निदेशालय द्वारा युवक विनिमय कार्यक्रम के अंतर्गत देशों की संख्या 10 से बढ़ाकर 25 करके तथा प्रशिक्षण में अनुकृतियों का समावेश कर किए गए प्रयासों की सराहना करती है।

<u>एनसीसी में प्रशिक्षक</u>

27. वर्ष 2022-23 की अनुदानों की मांगों पर विचार-विमर्श के दौरान समिति नोट करती है कि एनसीसी में प्रशिक्षण क्षमताओं की कमी है। समिति को यह

ज्ञात हुआ कि प्रशिक्षकों की कमी के मुद्दे के निराकरण के लिए माननीय श्री बैजयंत पांडा जी, पूर्व संसद सदस्य के सभापतित्व में एक उच्च स्तरीय समिति गठित की गई है। राष्ट्र निर्माण में एनसीसी की भूमिका को देखते हुए समिति की सिफारिश है कि प्रशिक्षकों से संबंधित मुद्दे का यथाशीघ्र निराकरण किया जाए और इसके साथ-साथ महाविद्यालय और संस्थागत स्तर पर प्रशासनिक संरचना के विस्तार से संबंधित मामले पर भी त्वरित गति से विचार किया जाए। मंत्रालय सेवाओं से प्रशिक्षकों की कमी दूर करने के लिए ईएसएम और असैन्य क्षेत्र से प्रशिक्षकों को शामिल करने की साध्यता पर भी विचार करे।

<u>सशस्त्र बल में एनसीसी कैडेट का न्यून चयन दर</u>

28. समिति नोट करती है कि सशस्त्र बलों में एनसीसी 'सी' प्रमाण पत्र धारकों विशेष रूप से पुरुष कैडेट के चयन की दर कम है। मंत्रालय द्वारा दिए गए आंकड़े के अनुसार वर्ष 2017 से 2021 तक 500 रिक्तियों के स्थान पर केवल 314 पुरुष एनसीसी कैडेट की भर्ती की गई है। इसी अवधि के दौरान, नौसेना विंग में 'सी' प्रमाणपत्र धारक का प्रदर्शन भी अच्छा नहीं था क्योंकि 12 रिक्तियों में से केवल 2 कैडेटों को नौसेना में अधिकारी के रूप में चुना गया था। समिति का विचार है कि एक ओर सेवाओं में अधिकारियों की कमी हो रही है और दूसरी ओर एनसीसी अपने कैडेटों को थल सेना, नौसेना और वायु सेना में अधिकारी

बनने के लिए प्रशिक्षित करने में सक्षम नहीं है। इसलिए, समिति सिफारिश करती है कि मंत्रालय को अपनी प्रशिक्षण विधियों में सुधार करना चाहिए और नई पद्धति भी विकसित करनी चाहिए ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि एनसीसी कैडेटों को कर्मचारी चयन बोर्ड (एसएसबी) के लिए चयन करने में सक्षम बनाने के लिए पेशेवर तरीके से प्रशिक्षित किया जा सके ।